बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन ।

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार,तिथि 2 अप्रील, 1984 ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (अस्वीकृत)	1--5
शून्य काल की चर्चायें से–	
(क) जेल में फैले भ्रष्टाचार की जांच	6
(ख) दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई	6
(ग) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था	6
(घ) पूर्णियां नगरपालिका का चुनाव	7
(ङ) विभागों की विधि व्यवस्था	7
(च) लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था	7-8
(छ) ऋण वितरण की व्यवस्था	8
(ज) टाउन हॉल का नामकरण	8
(झ) स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था	9
(ञ) आरक्षण नीति पर आघात	9
(ट) साहित्यकार की चिकित्सा की व्यवस्था	9
(ठ) हरिजन परिवारों को अनुदान	10
(ड) लघु सिचाई योजनाओं का अकार्यान्वयन	10
(ढ) पुलिस जुल्म	10
(ण) पुलिस जमादार और चौकीदार की मुअत्तली	10-11
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उनपर सरकारी वक्तव्य––	
(क) कोडरमा खान संस्थान पर खतरा	12
(ख) श्री चन्द्रशाही पर कातिलाना हमला	13-16
(ग) श्री नलिनीरंजन सिंह, स०वि०स० पर कातिलाना हमला ..	16-18
(घ) श्री तुलसी सिंह,स०वि०स० की हत्या का असफल प्रयास ..	18-24

शून्य काल की चर्चाएँ

(क) जेल में फैले भ्रष्टाचार की जांच ।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, मोतीहारी जेल की नारकीय स्थिति से सम्पूर्ण जेल में फैला हुआ है। गत 2 मार्च को महिला वन्दी मोकिमा खातुन के साथ जेल कर्मियों ने सामूहिक बलात्कार किया। ततपश्चात गला घोंटकर हत्या कर दी। 10 जनवरी, 1984 को अकारण बन्दियों पर लाठी चार्ज कर दर्जनों को बेरहमी से पीटा। भ्रष्टाचार जोरों पर है। राशन की कटौती, मुलाकातियों से पैसा तथा वकालतनामा, बेलबौंड अभिप्रमाणित करने के लिये घूस धड़ल्ले से चल रहा है। इस तरह के अपराध में जेल अधीक्षक, जेलर का सीधा हाथ है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(ख) दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई ।

श्री राम देव वर्मा—अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर वाजार के वार्ड न०-2, बंगाली टोला में दिनांक 27 मार्च, 1984 को भगवान सिंह के पुत्र पम्पी के नेतृत्व में एक गुंडा गिरोह ने समिता नाम की एक 12 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया। इस संबंध में एक मुकदमा समस्तीपुर थाने में हुआ है। डाक्टरी परीक्षा भी बलात्कार को सही ठहरायी है। अभी तक पुलिस कोई भी कारवाई इसलिये नहीं कर रही है चूंकि पम्पी एक बहुत वड़े स्मलर एवं करोड़पति का बेटा है। अतः मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए दोषी व्यक्तियों पर अविलम्ब कार्रवाई करने हेतु सरकार का वक्तव्य चाहता हूँ।

(ग) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था ।

श्री राम लषण राम रमण—अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के लगभग 1 लाख 42 हजार अपाहिजों (अपंगों) वृद्धों एवं विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा था। लगभग 30 हजार पेंशन पाने योग्य लोग इस लाभ से वंचित थे ही जिन्हें पेंशन देने हेतु सरकार से विभिन्न स्तरों पर मांग चल रही थी। इसी बीच नाजायज ढंग से एक लाख से अधिक लोगों की छंटनी कर दी गई। दर्जनों लोग समुचित भोजन तथा दवा के अभाव में पेंशन से वंचित हो जाने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए हैं : भारतीय साम्यवादी दल के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने कई बार छंटनी के खिलाफ लाठी खाई, जेल यात्रा की, लाल कार्ड एव खैरात की व्यवस्था के अभाव में गरीब अपंग, बूढ़े, विधवाएं, भोजन, दवा और वस्त्र के लिये तरस रहे हैं, तथा अपनी मृत्यु की घड़ियाँ गिन रहे हैं। सरकार शीघ्र वंचित पेंशनधारियों को पेंशन दे तथा लाल कार्ड और राशन की व्यवस्था करें।